सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

राजकीय आश्वासन समिति

का

348वाँ प्रतिवेदन

(पथ निर्माण विभाग)

(दिनांक .... ई० को सदन में उपस्थापित)

बिहार विधान सभा
की
राजकीय आश्वासन समिति प्रशाखा द्वारा प्रकाशित ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. प्राक्कथन	क
2. राजकीय आश्वासन समिति के माननीय सदस्यों एवं समिति के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।	ख
3. आश्वासनों की सूची	ग
4. प्रतिवेदन	1-15
5. परिशिष्ट	16-30

प्राक्कथन

मैं, सभापति, राजकीय आश्वासन समिति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत पथ निर्माण विभाग से संबंधित विभिन्न वर्षों के कुल 15 आश्वासनों के कार्यान्वयन से संबंधित राजकीय आश्वासन समिति का 348वाँ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

इस प्रतिवेदन में सन्निहित आश्वासनों को समिति की दिनांक 07 जून, 2023 की बैठक में समीक्षोपरान्त कार्यान्वित माना गया तथा इस प्रतिवेदन को समिति की दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया ।

संसदीय लोकतंत्र में विधायकगण, विधान मंडल में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनप्रतिनिधि द्वारा जनहित के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसपर सरकार का आश्वासन होता है ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-284 के तहत गठित राजकीय आश्वासन समिति, सरकार द्वारा सदन में दिये गये ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों आदि के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ कार्य करती है तथा कार्यान्वित आश्वासनों से संबंधित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करती है ।

इन आश्वासनों के कार्यान्वयन में विभागीय पदाधिकारियों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है ।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

दामोदर रावत,
सभापति,
राजकीय आश्वासन समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा के राजकीय आश्वासन समिति की वर्ष 2023–24 के माननीय सदस्यों की सूची

सभापति

1. श्री दामोदर रावत	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री केदार नाथ सिंह	स०वि०स०
2. श्री संजय कुमार गुप्ता	स०वि०स०
3. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल"	स०वि०स०
4. श्री जनक सिंह	स०वि०स०
5. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह	स०वि०स०
6. श्री सुदर्शन कुमार	स०वि०स०
7. श्री उमाकांत सिंह	स०वि०स०
8. श्री रामविशुन सिंह	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

1. श्री राज कुमार	सचिव
2. श्री पवन कुमार पाण्डेय	संयुक्त सचिव
3. श्री असीम कुमार	निदेशक
4. श्रीमती पूनम सिन्हा	उप-सचिव
5. सुश्री शिल्पा यादव	प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्री राजीव कुमार सिंह	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
7. श्री राजीव रंजन-III	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
8. श्री शक्ति कुमार प्रसाद	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
9. श्री मो० अली	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
10. श्री रवि शंकर	डाटा इंट्री ऑपरेटर

दिनांक 07 जून, 2023 को राजकीय आश्वासन समिति की हुई बैठक में पथ निर्माण विभाग से संबंधित कार्यान्वित आश्वासनों की सूची—

क्रम सं०	आश्वासन सं०
1	1007/11
2	1088/11
3	896/12
4	67/16
5	85/16
6	65/16
7	255/16
8	1368/16
9	1443/16
10	1209/16
11	788/19
12	933/21
13	949/21
14	1062/21
15	1751/21

प्रतिवेदन

पथ निर्माण विभाग

आश्वासन संख्या 1007/11

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2274 (पथ-68), दिनांक 30 मार्च, 2011 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री आनन्दी प्रसाद यादव, स०वि०स० ।

विषय-अररिया जिला के ए०बी०एम० सिकटी रोड अररिया, वैरगाछी, मदनपुर सिकटी होकर जाने वाली पथ पर पुल का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा इस पथ का हस्तानांतरण पथ निर्माण विभाग को नहीं किया गया है । जिस कारण अग्रतर कार्रवाई नहीं की जा सकी है । पथ के हस्तानांतरण हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को पुनः स्मारित किया जा रहा है ।

(ज्ञाप संख्या 1007-वि०स०, पटना, दिनांक 21 जून, 2011 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1007, दिनांक 21 जून, 2011 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 475(S), दिनांक 31 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-I पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 07 जून, 2023 को हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 07 जून, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1088/11

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 163 (पथ-31), दिनांक 20 जुलाई, 2011 को (सदन पटल से)।

प्रश्नकर्ता--श्री आनन्दी प्रसाद यादव, स०वि०स०।

विषय-अररिया जिलान्तर्गत बकरा नदी के पीरगंज घाट पर निर्मित उच्चस्तरीय पुल को मरम्मती करने के संबंध में।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--अररिया जिलान्तर्गत अररिया-कुर्साकांट-कुआँरी-सिकटी पथ के 36वें कि०मी० में आर०सी०सी० पुल अवस्थित है। उक्त स्थान पर नदी अपनी मुख्य धारा से हटकर पहुँच पथ के Parallel बह रही है। इस पुल एवं इसके पहुँच पथ के बचाव का स्थायी निदान हेतु River Training Works की आवश्यकता है। River Training Works के लिये विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने हेतु समुचित निदेश पुल निर्माण निगम को दिया गया है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत शीघ्र कार्य कराया जायेगा।

(ज्ञाप संख्या 1088-वि०स०, पटना, दिनांक 17 अगस्त, 2011 ई०)।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1088, दिनांक 17 अगस्त, 2011 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था। पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 476(S), दिनांक 31 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-II पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया। जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 07 जून, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 07 जून, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया।

आश्वासन संख्या 896/12

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2396 (पथ-98), दिनांक 21 मार्च, 2012 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री राज कुमार राय, स०वि०स० ।

विषय-समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर प्रखंड के रोसड़ा से सिंधिया पथ में परोड़िया पंचायत में लचका पुल दुधपुरा पंचायत में लचका पुल का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पथ के दुधपुरा पंचायत में (51वें कि०मी०) 436.65 लाख रुपये एवं परोड़िया पंचायत में (कि०मी० 52वें) 522.69 लाख रुपये, हनुमाननगर के नजदीक (55वां कि०मी०) 224.31 लाख रुपये तथा बिहट गांव के निकट (49वें कि०मी०) 430.31 लाख रुपये की लागत से नाबार्ड शीर्ष योजनान्तर्गत पुल निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है । जिसे वर्ष 2012-13 में कराया जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या 896-वि०स०, पटना, दिनांक 10 जुलाई, 2012 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 896, दिनांक 10 जुलाई, 2012 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 473(S), दिनांक 31 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-III पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 07 जून, 2023 को हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 07 जून, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 67 / 16

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 264 (पथ-20), दिनांक 2 मार्च, 2016 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री मुजाहिद आलम, स०वि०स० ।

विषय-किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड के मस्तान चौक से बरबट्टा पथ का चौड़ीकरण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

अध्यक्ष--मा० मंत्री जी ने आपको विस्तार से बताया कि पैकेज संख्या-31 में शामिल है और चौड़ीकरण का फैसला उसपर जो ट्रैफिक होता है उसका घनत्व देखकर के बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है । आपने जो कहा है, पत्र मा० मंत्री जी को दे दीजियेगा, उसके आधार पर देखेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप-मुख्यमंत्री--देखवा लेंगे । इनका यह बात सही है कि वहां काफी ज्यादा कर्व बगैरह है तो दुर्घटना की संभावना रहती है । मगर इसमें भी हर जगह हमलोग का साईन बोर्ड है, वह दिया जाता है मगर दिखवा लेते हैं ।

(ज्ञाप संख्या 67-वि०स०, पटना, दिनांक 14 जून, 2016 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 67, दिनांक 14 जून, 2016 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 494(S), दिनांक 31 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट v पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 07 जून, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 07 जून, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 85/16

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 305 (पथ-38), दिनांक 2 मार्च, 2016 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री सरफराज आलम, स०वि०स० ।

विषय-अररिया जिलान्तर्गत जौकीहाट प्रखंड में उदा खाता पथ के 0 कि०मी० में क्षतिग्रस्त स्क्रू पाईल ब्रिज के स्थान पर आर०सी०सी० पुल का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--अररिया जिलान्तर्गत जौकीहाट प्रखंड में उदा खाता पथ के पहले कि०मी० में पुराने एवं जर्जर स्क्रू पाईल ब्रीज के जगह पर नये आर०सी०सी० पुल निर्माण करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है एवं कार्य का जिम्मा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को दिया गया है । वर्ष 2015 में निगम द्वारा समर्पित प्राक्कलन पुराना अनुसूचित दर पर होने के कारण उन्हें अद्यतन अनुसूचित दर पर 15 दिनों में समर्पित करने का निदेश दिया गया है ।

वर्ष 2015--17 की कार्य योजना में सम्मिलित किया जा रहा है ।

(ज्ञाप संख्या 85-वि०स०, पटना, दिनांक 22 जुलाई, 2016 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 85, दिनांक 22 जुलाई, 2016 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 493(S), दिनांक 31 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट VI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 07 जून, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 07 जून, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 65/16

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 261 (पथ-49), दिनांक 02 मार्च, 2016 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता-- श्री नौशाद आलम , स०वि०स० ।

विषय-किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंडान्तर्गत बंगाल सीमा मुराली गच्छा से ठाकुरगंज पथ पर चेंगा नदी पर पुल का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, (उप मुख्यमंत्री)--प्रश्नधीन चेंगा नदी पर पुल का निर्माण अपरिहार्य कारणवश वर्ष 2015-16 में नहीं किया जा सका है लेकिन वर्ष 2016-17 में पूर्ण कार्य योजना में सम्मिलित कर अगले दो वर्षों में पूरा कर लिया जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या 65-वि०स०, पटना, दिनांक 14 जून, 2016 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 65, दिनांक 14 जून, 2016 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 477(S), दिनांक 31 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट IV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 07 जून, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 07 जून, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 255/16

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 891 (पथ-62), दिनांक 09 मार्च, 2016 की (कार्यवाही से) ।

प्रश्नकर्ता-- श्री नन्द किशोर यादव, स०वि०स० ।

विषय-पटना शहर में गंगा पथ योजना, जो दीघा से दीदारगंज तक गंगा से सटे पथ निर्माण की योजना में खाजेकलाँ घाट पर एक सम्पर्क पथ बनाने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि दीघा से दीदारगंज गंगा-पथ (21.50 कि०मी०)-में तकनीकी संभावना के दृष्टिकोण से 5 स्थानों यथा एल०सी०टी० घाट, ए०एन० सिन्हा समाज समाज अध्ययन संस्थान, कृष्णा घाट, कंगन घाट; पटना घाट के निकट संकर्ष पथ का प्रावधान किया गया है । यह सही है कि खाजेकलाँ घाट से सटे मच्छरहट्टा एक बड़ी व्यापारी मंडी है और वहां घनी आबादी है । यह उल्लेखनीय है कि खाजेकलाँ घाट से अशोक राज पथ की दूरी 300 मीटर है जो लगभग 3-4 मीटर का संकीर्ण पथ है और घनी आबादी एवं पक्का मकान होने के कारण इस पथ को चौड़ा नहीं किया जा सकता है । फिर भी मा० सदस्य के सुझाव के अनुरूप गंगा-पथ से खाजेकलाँ घाट को जोड़ने के लिये तकनीकी सर्वे कराकर निर्णय लिया जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या 690-693/ वि०स०, पटना, दिनांक 31 अगस्त, 2016 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 690-693, दिनांक 31 अगस्त, 2016 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 502(S), दिनांक 31 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 07 जून, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 07 जून, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1368 / 16

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 308 (पथ-29), दिनांक 01 अप्रील, 2016 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता-- श्री आबिदुर रहमान, स०वि०स० ।

विषय-अररिया जिला के अन्तर्गत बैरगाछी से कुर्साकांटा पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री -विषयांकित पथ अररिया-कुर्साकाँटा-कुआरी-सिकटी पथ है, उक्त पथ में CMBD के तहत कार्य प्रगति पर है, उक्त कार्य का कार्य प्रारंभ की तिथि 04 सितम्बर, 2017 है । ससमय कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या 5142-5145/ वि०स०, पटना, दिनांक 21 फरवरी, 2017 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 5142, 5145, दिनांक 21 फरवरी, 2017 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 491(S), दिनांक 31 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-IX पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 07 जून, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 07 जून, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1443 / 16

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 214 (पथ-07), दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता-- डॉ० (मो०) जावेद, स०वि०स० ।

विषय-किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंडान्तर्गत भोटाथाना से बूधरा भाया आजादनगर छतरगाछ, गुवाबाड़ी खानकी चाँदनीचौक, आमबारी, बुधरा तक सड़क का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री -वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंडान्तर्गत भोटाथाना-आजादनगर, आमवारी, बुधरा, पोठिया पथ की कुल लम्बाई 12.90 कि०मी० है । पूर्व में यह पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन था एवं वर्ष 2014-15 में पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरण कर लिया गया है । पथ क्षतिग्रस्त स्थिति में है । पिछले वर्ष कार्य योजना में इस पथ को शामिल किया गया था, परन्तु प्रशासनिक स्वीकृति अप्राप्त रहने के कारण निविदा प्रक्रिया स्थगित कर दिया गया ।

इस पथ को इन्टरमीडिएट लेन में निर्माण करने के लिये केन्द्रीय सड़क निधि से स्वीकृति हेतु कुल 3953.05 लाख रुपये का प्राक्कलन भारत सरकार को भेजा गया है । भारत सरकार से स्वीकृति के पश्चात् कार्य कराया जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या 5442-5445 वि०स०, पटना, दिनांक 28 फरवरी, 2017 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 5442-5445, दिनांक 28 फरवरी, 2017 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 490(S), दिनांक 31 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-X पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 07 जून, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 07 जून, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1209/16

प्रसंग एवं विषय

अनागत तारांकित प्रश्न संख्या-ग्राम्य-290, दिनांक 1 दिसम्बर, 2016 को सदन पर रखे गये (द्वितीय सत्र) की मुद्रित पुस्तिका से ।

प्रश्नकर्ता-- श्री रत्नेश सादा, स०वि०स० ।

विषय-सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के सुगमा सोनवर्षा पुल का निर्माण कराने के संबंध में ।

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि इस पुल के क्षतिग्रस्त होने के पश्चात् इस पुल के निर्माण हेतु विश्व बैंक ऋण सम्पोषित योजना बिहार कोसी बेसीन विकास परियोजना के अंतर्गत योजना प्रस्तावित थी । तत्पश्चात् इस योजना (सहरसा जिलान्तर्गत रौंगिनिया-सोनवर्षा पथ के 15वें कि०मी० में उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल) की प्रशासनिक स्वीकृति फेज-2 के अंतर्गत बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाईटी (बापेप्स) द्वारा लगभग 15 करोड़ 49 लाख रुपये मात्र के लिये दी गयी है । इस योजना की निविदा आमंत्रित की गयी थी, परन्तु दर अधिक होने के कारण पुनर्निविदा आमंत्रित कर पुनः बीड प्राप्त कर ली गयी है । निविदा निष्पादन की प्रक्रिया की जा रही है । निविदा निष्पादन के पश्चात् कार्य आवंटित कर निर्माण कार्य पूर्ण करते हुये आवागमन बहाल कर दिया जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या 4506-4509 वि०स०, पटना, दिनांक 13 फरवरी, 2017 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 4506-4509, दिनांक 13 फरवरी, 2017 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 492(S), दिनांक 31 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-VIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 07 जून, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 07 जून, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 788/19

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2082 (पथ-99), दिनांक 24 जुलाई, 2019 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता-- श्री मुजाहिद आलम, स०वि०स० ।

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज बहादुरगंज पथ निर्माण विभाग की सड़क के छठे किलो मीटर भेरियाडागी में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा पुल का निर्माण मार्च, 2018 से कराया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मार्ग जिले का सबसे व्यस्त मार्ग है, जो जिले की 75 प्रतिशत आबादी को जिला मुख्यालय से जोड़ती है, परंतु संवेदक द्वारा उक्त पुल का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से कराया जा रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कार्य ससमय पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि विषयांकित पुल निर्माण कार्य की प्रारम्भ की तिथि 28 मार्च, 2018 एवं समाप्ति की तिथि 27 सितम्बर, 2019 है । प्रस्तावित पुल निर्माण स्थल के बगल में डायवर्सन का निर्माण किया गया है, जिससे वर्तमान में आवागमन जारी है ।

(ज्ञाप संख्या 788-वि०स०, पटना, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 788, दिनांक 11 अक्टूबर, 2011 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 489, दिनांक 31 जनवरी, 2023 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XI पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 07 जून, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 07 जून, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 933/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2933 (पथ-148), दिनांक 24 मार्च, 2021 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता-- श्री छोटे लाल राय, स०वि०स० ।

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत दिघवारा-भेल्दी पथ जर्जर है, जबकि उक्त पथ पर हजारों ट्रकों का आवागमन प्रतिदिन होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा उक्त पथ का निर्माण कार्य वर्ष 2018 में सरकारी मानक के अनुरोध नहीं किया गया है, जिससे निर्माण के दो वर्ष उपरान्त ही पथ टूट गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पथ निर्माण कार्यों की जाँच कराते हुये पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) (2) एवं (3) स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि दिघवारा-भेल्दी पथ की लम्बाई 19.00 कि०मी० एवं चौड़ाई 7.00 मी० है । इस पथ की जाँच कई स्तरों पर की गयी है । पूर्व में कराये गये कार्य के Defect Liability Period (DLP) अवधि में क्षतिग्रस्त पथांश के कारण नियमानुकूल संवेदक से राशि वसूलने का निदेश दिया गया है। क्षतिग्रस्त पथांश का निर्माण करने हेतु OPRMC के Package-25B के अन्तर्गत निदेश दिया गया है तथा कार्य कराया जा रहा है ।

(ज्ञाप संख्या 933-वि०स०, पटना, दिनांक 6 अगस्त, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 933, दिनांक 06 अगस्त, 2021 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 4141(S), दिनांक 04 अगस्त, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट XII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 07 जून, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 07 जून, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 949/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2988 (पथ-168), दिनांक 24 मार्च, 2021 के (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता-- श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास, स०वि०स० ।

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत दरौंदा प्रखंड के पंचायत सिरसांव के पूरब एन०एच०-85 सीवान-छपरा-रोड सिरसांव मठिया के सामने पुराना अवस्थित था ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत दो वर्ष पूर्व एन०एच० 85 पर ही एन०एच० 531 का नवनिर्माण कराये जाने के क्रम में उक्त पुल को तोड़कर हटा दिया गया, जिस कारण सिरसांव पंचायत और कोड़ारी कला पंचायत के 500 एकड़ कृषि योग्य भूमि के साथ आसपास के गांवों में बरसात के दिनों में पानी भरा रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर आर०सी०सी० पुल बनवाने का विचार रखती है, है, नहीं तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--(1) (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि सीवान जिलान्तर्गत दरौंदा प्रखंड के पंचायत सिरसांव में स्थित पुराने नाले के ऊपर NHAI द्वारा एन०एच०-531 का निर्माण किया गया है । विगत वर्ष में अप्रत्याशित बाढ़ के आलावा अन्य वर्षों में बरसात का पानी जमा होने का मामला नहीं आया है । स्थल की आवश्यकता को देखते हुये उक्त स्थल पर कलभर्ट का निर्माण कार्य करा दिया जायेगा ।

(ज्ञाप संख्या 949-वि०स०, पटना, दिनांक 6 अगस्त, 2021 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 949, दिनांक 06 अगस्त, 2021 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 4093(S), दिनांक 04 अगस्त, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XIII पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 07 जून, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 07 जून, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1062/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 2370 (पथ-77), दिनांक 17 मार्च, 2021 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता--श्री संजय सरावगी, स०वि०स० ।

प्रश्न क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के दरभंगा शहर में वर्ष 2006ई० में उद्घटित कटहलवाड़ी रेलवे ओवर-ब्रिज जर्जर हो गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ओवर ब्रिज की मरम्मती कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि IRCON International द्वारा दिनांक 8 जनवरी, 2021 को विषयांकित कटहलवाड़ी रेलवे ओवर ब्रिज को ऊपरी सतह (Wearing Coat) क्षतिग्रस्त स्थिति में ही पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है । रेलवे ओवर ब्रिज Wearing Coat के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मती हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

(ज्ञाप संख्या 1062-वि०स०, पटना, दिनांक 31 अगस्त, 2011 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1062, दिनांक 31 अगस्त, 2021 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 4118(S), दिनांक 4 अगस्त, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट- XIV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 07 जून, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 07 जून, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

आश्वासन संख्या 1751/21

प्रसंग एवं विषय

तारांकित प्रश्न संख्या 257 (पथ-28), दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 को (सदन पटल से) ।

प्रश्नकर्ता-- श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स० ।

क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा-सासाराम मुख्य सड़क पर पीरो प्रखंड के बचरी फॉल का पुल एक साल से क्षतिग्रस्त है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वहां नया पुल निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी आश्वासन

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा-सासाराम मुख्य सड़क पर क्षतिग्रस्त पुल के नवनिर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है । उक्त पुल का नवनिर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराने का प्रस्ताव है ।

(ज्ञाप संख्या 1751-वि०स०, पटना, दिनांक 03 जनवरी, 2022 ई०) ।

समिति की समीक्षा

सभा सचिवालय के पत्रांक 1751, दिनांक 03 जनवरी, 2022 के द्वारा पथ निर्माण विभाग को उपर्युक्त आश्वासन भेजा गया था । पथ निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 4107 (S), दिनांक 04 अगस्त, 2022 के द्वारा कार्यान्वयन प्रतिवेदन (परिशिष्ट-XV पर द्रष्टव्य) सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया । जिस पर राजकीय आश्वासन समिति (मुख्य) की दिनांक 07 जून, 2023 की हुई बैठक में समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत समिति द्वारा विभागीय उत्तर को संतोषप्रद पाया गया ।

समिति का निर्णय

राजकीय आश्वासन समिति की दिनांक 07 जून, 2023 की बैठक में समिति द्वारा इस आश्वासन को कार्यान्वित मानते हुये निष्पादित किया गया ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

पत्रांक-6/पथ/आश्वा० (वि०स०) 10/107/2011-475(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 31 जनवरी, 2023 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1007/2011 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1007, दिनांक 21 जून, 2011 के प्रसंग में कहना है कि वर्णित पथ में पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

परिशिष्ट-II

पत्रांक 6/पथ/आश्वा० (वि०स०) 10-135/2011-476(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 31 जनवरी, 2023 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1088/2011 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1088, दिनांक 17 अगस्त, 2011 के प्रसंग में कहना है कि पुल के पहुँच पथ को कटाव से बचाने के लिये पथ निर्माण विभाग द्वारा जियो बैग एवं बोल्डर पिचिंग का कार्य कराया गया । वर्तमान में पुल सुरक्षित है । पुल की मरम्मती की आवश्यकता नहीं है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-III

पत्रांक 6/पथ/आश्वा० (वि०स०) 10/97/2012-473(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 31 जनवरी, 2023 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 896/2012 का कार्यान्वियन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 896, दिनांक 09 जुलाई, 2012 के प्रसंग में कहना है कि आश्वासनाधीन पथांश राज्य उच्च पथ सं० 88 का भाग है, इसी पथ के परोड़िया (कि०मी० 54+832) में RCC पुल निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, साथ ही सुगम यातायात भी जारी है । दुधपुरा (कि०मी० 56+130) में अवस्थित RCC पुल का कार्य संपर्क पथ सहित एवं रेलिंग् रहित पूर्ण किया जा चुका है । तथा यातायात का परिचालन जारी है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-IV

पत्रांक 6/पथ/आश्वा० (वि०स०) 10-62/2016-477(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 31 जनवरी, 2023 (ई०) ।

विषय---बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 65/2016 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 65, दिनांक 22 जुलाई, 2016 के प्रसंग में कहना है कि चेंगा नदी पर पुल निर्माण द्वारा उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कराया जा चुका है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-V

पत्रांक 6/पथ/आश्वा० (वि०स०) 10-57/2016-494(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 31 जनवरी, 2023 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 67/2016 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 67, दिनांक 22 जुलाई, 2016 के प्रसंग में कहना है कि वर्णित पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य करा लिया गया है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पस्ट,
अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-VI

पत्रांक 6/पथ/आश्वा० (वि०स०) 10-60/2016-493(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 31 जनवरी, 2023 (ई०) ।

विषय- -बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 85/2016 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 85, दिनांक 22 जुलाई, 2016 के प्रसंग में कहना है कि वर्णित पथ में आर०सी०सी० पुल का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० द्वारा पूर्ण करा दिया गया है । वर्तमान में यातायात चालू है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-VII

पत्रांक 6/पथ/आश्वा० (वि०स०) 10-79/2016-502(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 31 जनवरी, 2023 (ई०) ।

विषय- बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 255/2016 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 690-693, दिनांक 31 अगस्त, 2016 के प्रसंग में कहना है कि गंगा पथ में तकनीकी संभावना के दृष्टिकोण से खाजेकलाँ घाट के समीप कंगन घाट में संपर्क पथ का प्रावधान किया गया है एवं कंगन घाट से खाजेकलाँ घाट के बीच गंगा के तट पर सड़क का निर्माण किया जा चुका है, जिससे खाजेकलाँ घाट की गंगा पथ से संपर्कता प्रदान की गई है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-VIII

पत्रांक 6/पथ/आश्वा० (वि०स०) 10-20/2017-492(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 31 जनवरी, 2023 (ई०) ।

विषय बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1209/2016 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 4506-4509, दिनांक 13 फरवरी, 2017 के प्रसंग में कहना है कि सोनवर्षा प्रखंड के सुगमा-सोनवर्षा के बीच सुगमा के समीप तिलावे नदी पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के द्वारा H.L. Bridge का निर्माण कार्य किया जा चुका है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-IX

पत्रांक 6/पथ/आश्वा० (वि०स०) 10-09/2017-491(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 31 जनवरी, 2023 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1368/2016 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 5142-5145, दिनांक 21 फरवरी, 2017 के प्रसंग में कहना है कि वर्णित पथ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-X

पत्रांक 6/पथ/आश्वा० (वि०स०) 10-09/2017-490(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण सभा विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 31 जनवरी, 2023 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1443/2016 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 5442-5445, दिनांक 28 फरवरी, 2017 के प्रसंग में कहना है कि वर्णित पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य करा दिया गया है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-XI

पत्रांक 6/पथ/आश्वा० (वि०स०) 10-90/2019-489(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 31 जनवरी, 2023 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 788/2019 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 788, दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 के प्रसंग में कहना है कि वर्णित पथ के भेड़ियाडांगी में पुल निर्माण का कार्य पूर्ण हो-गया है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-XII

पत्रांक 6/पथ/आश्वा० (वि०स०) 10-33/2021-4141(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 4 अगस्त, 2022 (ई०) ।

विषय बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 933/2021 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 933, दिनांक 6 अगस्त, 2021 के प्रसंग में कहना है कि क्षतिग्रस्त पथांश का निर्माण करने हेतु OPRMC के Package-25B के अन्तर्गत कार्य करा दिया गया है । आवागमन सुचारू है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-XIII

पत्रांक 6/पथ/आश्वा० (वि०स०) 10-16/2021-4093(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 4 अगस्त, 2022 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 949/2021 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 949, दिनांक 6 अगस्त, 2021 के प्रसंग में कहना है कि सीवान जिलान्तर्गत दरौदा प्रखंड के पंचायत सिरसांव में स्थित उक्त स्थान पर पुलिया का निर्माण पूर्ण हो चुका है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-XIV

पत्रांक 6/पथ/आश्वा० (वि०स०) 10-42/2021-4118(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 4 अगस्त, 2022 (ई०) ।

विषय--बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1062/2021 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1062, दिनांक 31 अगस्त, 2021 के प्रसंग में कहना है कि विषयांकित पथांश की मरम्मती करा दी गई है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट-XV

पत्रांक 6/पथ/आश्वा० (वि०स०) 10-14/2021-4107(S)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

प्रेषक

अवर-सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना ।

पटना, दिनांक 4 अगस्त, 2022 (ई०) ।

विषय—बिहार विधान सभा का आश्वासन सं० 1751/2021 का कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 1751, दिनांक 3 जनवरी, 2022 के प्रसंग में कहना है कि आश्वासनाधीन क्षतिग्रस्त पुल के क्षतिग्रस्त अंश का नव निर्माण पूर्ण करा लिया गया है । सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन चालू है ।

अतएव उक्त आश्वासन को पथ निर्माण विभाग की लंबित सूची से विलोपित करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
अवर सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बि०स०मु०—73 (एल० ए०)—2024—25 डी० टी० पी० —300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025